



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)
रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248001
Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685137

Fax : +91-135-2685124

आदेश सं० 337/उ0आ0वि0/क्रय/2026-27

दिनांक: 13 मई, 2026

नोटिस

विश्वविद्यालय के परिसरों एवं समस्त सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय से माईग्रेसन एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदन/प्रार्थना-पत्र कार्यालय दिवसों में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे तथा आवेदन/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त यथा सम्भव एक सप्ताह बाद सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाएंगे।

आवेदन/प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किये जाएंगे:

1. आवेदन पत्र मूल में।
2. कॉलेज का प्रारूप मूल रूप में।
3. चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
4. इंटरनशीप प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
5. एलोपैथिक इंटरनशीप प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
6. आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. फीस की ऑनलाईन प्रति।
8. कक्षा 10 के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र अथवा अंक तालिका की छायाप्रति।
9. यदि कोई छात्र काउंसिलिंग/प्रबन्धकीय/मा0 न्यायालय द्वारा प्रवेशित है, तो वह तत्सम्बन्धी आदेशों की छायाप्रति भी संलग्न करेंगे।

(डॉ० शिवकुमार बरनवाल)
कुलसचिव

337
पत्रांक: /उ0आ0वि0/क्रय/2026-27 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर हरिद्वार/गुरुकुल परिसर हरिद्वार/आयुर्वेद संकाय मुख्य परिसर देहरादून।
5. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध संस्थान को इस अनुरोध के साथ की कृपया उक्तानुसार सूचना अपने संस्थानों के विद्यार्थियों को तत्सम्बन्धी सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. वैबसाइट पर।

(डॉ० शिवकुमार बरनवाल)
कुलसचिव

